

फर्द अहकाम



(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट
श्री लाला पुत्र श्री गलबाजी जाति रावल निवासी कोदरला तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा

किस्म मुकदमा- प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा
5 म्याद अधिनियम

मुकदमा नं. 163 वर्ष 2020

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
09.10.2020	<p>प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र नायब तहसीलदार पिण्डवाडा के मुकदमा सं. 203/2020 में पारित आदेश दिनांक 06.03.2020 के विरुद्ध धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी की अवधि को कण्डोन कराने हेतु यह प्रार्थना-पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत पेश किया प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 20.11.2020 को पेश हो ।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलक्टर, सिरोही</p>	
20.11.2020	<p>अपीलांट/प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ। नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुआ। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा अपील को प्रस्तुत करने में कोविड-19 के कारण देरी होना बताया गया है जो सद्भावनापूर्ण पाया जाता है। अतः अपीलांट/का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को प्रस्तुत होने में हुई विलम्ब की अवधि को कण्डोन करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही</p>	

